संख्या-1028/2025/2164/22-2-2023-17(747)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री तिलकराम कोरी, निवासी जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-12154/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023), दिनांक 13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री तिलकराम कोरी, जो ग्राम-लालदास का पुरवा, मौजा-पाराखाना, थाना-कोतवाली अयोध्या, जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) का निवासी है। मजदूरी न दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25-11-2007 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासा से मारकर लल्लू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-152/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या-3, फैजाबाद (अयोध्या) के आदेश दिनांक 27.01.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बंदी ने दिनांक 27.04.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के छूटने के बाद पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा ठीक न होने, अभी भी दोनो पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मजदूरी न दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25-11-2007 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासा से मारकर लल्लू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को घायल किया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धर्मेन्द्र पुत्र तिलकराम कोरी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र (बन्दी संख्या-264/2019) पुत्र श्री तिलकराम कोरी, निवासी जनपद-अयोध्या की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1028/2025/2164(1)/22-2-2023 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-1028/2025/2164/22-2-2023-17(747)/2019

दिनांकः 14 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री तिलकराम कोरी, जो ग्राम-लालदास का पुरवा, मौजा-पाराखाना, थाना-कोतवाली अयोध्या, जनपद-फैजाबाद (अयोध्या) का निवासी है। मजदूरी न दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25-11-2007 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासा से मारकर लल्लू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-152/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या-3, फैजाबाद (अयोध्या) के आदेश दिनांक 27.01.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है। बंदी ने दिनांक 27.04.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 05 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 07 माह, 29 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी के छूटने के बाद पुन: किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा ठीक न होने, अभी भी दोनो पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि मजदूरी न दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 24/25-11-2007 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासा से मारकर लल्लू नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 03 व्यक्तियों को घायल किया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी धर्मेन्द्र पुत्र तिलकराम कोरी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।